"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 152]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 26 अप्रैल 2011—वैशाख 6, शक 1933

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
इन्द्रावती खण्ड, मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 अप्रैल 2011

क्रमांक 25/चार/लो.स.उप चु./2010/919.—भारत निर्वाचन आयोग, नई-दिल्ली का वैकल्पिक मतदाता पहचान पत्रों के संबंध में आदेश संख्या 3/4/ID/2011/SDR, (Chhattisgarh)/688, दिनांक 21 अप्रैल, 2011 एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित की जाती है.

सुनील कुजूर,
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 21 अप्रैल 2011

आदेश

सं.: 3/4/आई. डी./2011/एस.डी.आर (छत्तीसगढ़).—यत:, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह प्रावधान है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन असली निर्वाचकों के मताधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों के लिए अपनी पहचान को सिद्ध करने के उपाय के रूप में निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग के लिए उस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा प्रावधान किया जाए; और

2. यत:, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को मतदान के समय निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुगम बनाने के लिए राज्य की लागत पर उनके फोटो सहित निर्वाचक पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देने का अधिकार देता है; और

3. यत:, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज (3) और 49 ट (2) (ख) में यह अनुबंध है कि जिस निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम,1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किये गये हैं उन निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा और उनकी ओर से निर्वाचक पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने या मना करने पर मत डालने से उन्हें मना किया जा सकता है ; और

4. यत:, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों के सामंजस्यपूर्ण और संयुक्त पठन से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम होने से ही होता है, तथापि यह निर्वाचक पहचान-पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, जहां राज्य की लागत पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किया गया है, वहां दोनों को ही साथ-साथ प्रयोग में लाया जाना है; और

5. यत:, निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश दिया था; और

6. यत:, आयोग ने यह पाया है कि पिछले कुछ वर्षों से जब से निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी करने के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ के निर्वाचन-तन्त्र ने सभी संभव प्रयत्नों द्वारा छूटे हुए निर्वाचकों, को ध्यान में रखते हुए पहचान-पत्र जारी करने के लिए, निर्वाचन-क्षेत्रों और इलाकों में अनेक चक्रों को दोहराते हुए पर्याप्त संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक पहचान-पत्र जारी किए हैं; और

7. यत:, छत्तीसगढ़ में निर्वाचकों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियां तैयार की जा चुकी है और जारी कर दी गई है; और

8. यत:, जनवरी-मार्च, 2000 में हुए हरियाणा विधान सभा के साधारण निर्वाचन, और तब से अब तक सभी साधारण निर्वाचनों तथा उप-निर्वाचनों में आयोग ने यह निदेश दिया था कि उक्त निर्वाचनों में सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी किए जा चुके हैं, उक्त निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने पहचान-पत्र प्रस्तुत करें और उक्त निर्वाचनों में उन छूटे हुए निर्वाचकों जिन्होंने निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्राप्त नहीं किए हैं, उन्हें मतदान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि आयोग द्वारा निर्धारित किसी वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उनकी पहचान स्थापित की जा सके; और

9. अत:, अब, सभी संबद्ध बातों और विधिक तथा तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा यह निदेश देता है कि 10-बस्तर (अ.ज.जा.) निर्वाचन क्षेत्र के लिए उप निर्वाचन में से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र जो दिनांक 11 अप्रैल, 2011 को अधिसूचित हुआ था, के लिए मतदान केन्द्रों पर मत डालने और अपने मताधिकार का प्रयोग करते समय सभी मतदाताओं को जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र जारी हो चुका है, को इन पहचान-पत्रों को प्रस्तुत करना होगा. यदि कोई निर्वाचक अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे निर्वाचक को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :—

(i) पासपोर्ट,

(ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,

(iii) आयकर पहचान-पत्र (पी.ए.एन),

(iv) राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके **कर्मचारियों** को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,

(v) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा 31-3-2011 तक खोले गए खातों के लिए फोटोयुक्त पासबुक,

(vi) फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र,

(vii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-3-2011 तक जारी फोटोयुक्त अ. जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र,

(viii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा 31-3-2011 तक जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र,

(ix) 31-3-2011 तक जारी फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस,

(x) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अधीन 31-3-2011 तक जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड,

(xi) फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे कि पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि,

(xii) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र/वृद्धावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश (31-3-2011 तक जारी),

(xiii) फोटोयुक्त स्वास्थ बीमा योजना स्मार्ट कार्ड (श्रम योजना मंत्रालय 31-3-2011 तक जारी),

(xiv) फोटोयुक्त भू-अधिकार एवम् ऋण पुस्तिका.

10. परिवार के मुखिया को जारी उपर्युक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान-पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर केवल परिवार के मुखिया को अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं तथा परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके.

11. उक्त पैरा 9 में किसी भी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 20क के अधीन अपने पासपोर्ट में दिए गए विवरणानुसार, निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, मतदान केन्द्र में उनकी पहचान केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर की जाएगी (किसी अन्य पहचान दस्तावेज के आधार पर नहीं).

आदेश से,

हस्ता./-
(बर्नार्ड जॉन)
सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 21st April 2011

ORDER

No. 3/4/ID/2011/SDR/(Chhattisgarh).—Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electoral Photo Identity Cards for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electoral Photo Identity Cards to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H (3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electoral Photo Identity Cards under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electoral Photo Identity Cards at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electoral Photo Identity Cards may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electoral Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28th August, 1993, directing the issue of Electoral Photo Identity Cards (EPICs) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, the Commission has taken note of the fact that over the last few years since the implementation of the programme of issue of EPICs was taken up, the election machinery of Chhattisgarh, have issued these cards to a substantially high number of electors and made all possible efforts, by way of repeated rounds of the constituencies and areas, with a view to issuing cards to the left-out electors; and

7. Whereas, electoral rolls containing photographs of the electors have been prepared and published in Chhattisgarh; and

8. Whereas, at the general election to the Legislative Assembly of Haryana held in January-March 2000, and at all general and bye-elections held since then, the Commission had directed that all electors who were issued with EPICs should produce those cards to exercise their franchise at the said elections, and that it would permit the odd electors who have not obtained their EPICs to vote at the said elections, provided their identity is otherwise established by production of one of the alternative documents prescribed by the Commission; and

9. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that all electors in 10-Bastar (ST) Parliamentary Constituency in Chhattisgarh, for the bye-election notified on 11th April, 2011, shall produce their EPICs for establishing their identity before casting their votes. If any elector fails to produce his/her EPIC, such elector shall have to produce any of the following alternative photo documents for establishing his/her identity :—

(i) Passport,

(ii) Driving Licence,

(iii) Income Tax Identity (PAN) Cards,

(iv) Service Identity Cards having photograph, issued to its employees by State/Central Government Offices, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Public Limited Companies,

(v) Passbooks containing Photographs for Accounts opened up to 31-3-2011 in Public Sector Banks/ Post Offices,

(vi) Freedom Fighter Identity Card with photograph,

(vii) SC/ST/OBC certificates issued by competent authority with photograph issued up to 31-3-2011,

(viii) Certificate of physical handicap having photograph, issued by the Competent Authority, issued up to 31-3-2011,

(ix) Arms License having photograph, issued up to 31-3-2011,

(x) Job Cards with photograph issued under the National Rural Employment Guarantee Scheme, issued up to 31-3-2011,

(xi) Property Documents with Photograph such as Pattas, Registered Deeds, etc.,

(xii) Pension Documents such as ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment Order, ex-servicemen's Widow/Dependent Certificates, Old Age Pension Order, Widow Pension Order with photograph (issued upto 31-3-2011),

(xiii) Health Insurance Scheme Smart Cards with photograph (Ministry of Labour's Scheme, issued upto 31-3-2011),

(xiv.) Bhoo Adhikar Evam Rin Pusthika, with photograph.

10. Any of the abovementioned documents that is available only to a member of family may be used for identifying the other members of the family provided all members come together and are identified by such member.

11. Notwithstanding anything in Para 9 above, Overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950 based on the particulars in their passport, shall be identified on the basis of their original passport only (no other identity document) in the polling station.

By order,

Sd/-
(BERNARD JOHN)
Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.